उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-103 /2020/874/41-2020-187(यो0)/2015

लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2020

संख्या-78/2020/3723(1)/41-2019-187(यो0)/2015 दिनांक 25 फरवरी, 2020

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक ,पर्यटन उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक 6510/6-1-1(687)/2015 दि0- 28-2-2020 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर के दरगाह शरीफ किछौछा के विकास कार्य हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-78/2020/3723(1)/41-2019-187(यो0)/2015 दिनांक 25 फरवरी, 2020 में प्रस्तर-3 में अंकों में टंकित धनराशि के सामने त्रुटिवश लाख नहीं टंकित होने का उल्लेख करते हुये संशोधन करने तथा पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ/ अम्बेडकरनगर के स्थान पर अम्बेडकरनगर को विलोपित करते हुये मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ अंकित करने का अनुरोध किया गया है ।

2. अत: शासनादेश संख्या-78/2020/3723(1)/41-2019-187(यो0)/2015 दिनांक 25 फरवरी, 2020 के प्रस्तर-3 में अंकों में टंकित धनराशि के सामने लाख नहीं टंकित होने की त्रुटि का निराकरण करते हुये रू0 194.29 के स्थान पर रू0-194.29 लाख पढे जाने एवं पृष्ठांकन के क्रमांक-4 पर मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ/ अम्बेडकरनगर के स्थान पर अम्बेडकरनगर को विलोपित करते हुये **सिर्फ मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ** पढे जाने का आदेश एतद्द्वारा प्रदान किया जाता है । तद्नुसार शासनादेश दिनांक 25 फरवरी, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-103/2020/874/41-2020-187(यो0)/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अम्बेडकरनगर ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, अयोध्या मण्डल अयोध्या ।
9- निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
10- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,निर्माण इकाई अयोध्या।
11- श्री राजा राम,वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.nic.in